

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला -- टॉक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशन संख्या:- 121/1/221

निर्णय दिनांक :- 29/11/22

जनवानी प्रार्थना पत्र :

हजिराज

बनाम तहसीलदार

देवली

उपस्थिति :-

गुरास

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश ::

प्रार्थी अमरसिंह s/o गोपाल निवासी सिरीसी प्रशासन गांवा

के संघ 2021 केम्प / न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सिरीसी

जमाबंदी समवत् 2076 स्थायी के खाता संख्या 342 में दर्ज प्रार्थी का नाम

नररा के स्थान पर नरुभुज

दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली

पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार देवली से

कराई गई। तहसीलदार देवली ने पटवार हल्का अल्मारा व भूअंशनि 0 गेन्सा की

रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त इन्दाज करने की अभिशांश की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में जानकारी ली

गई। तहसीलदार देवली से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का

स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक-

4(राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार देवली को वाके ग्राम सिरीसी जमाबंदी

समवत् 2076 स्थायी के खाता संख्या 342 में दर्ज नररा के स्थान पर नरुभुज

दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति

तहसीलदार देवली को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

दाखिल करार हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, केम्प पालनार्थ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी देवली

उपखण्ड अधिकारी देवली